



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22165-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29848/2025**

प्रियांशु

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम सनेही यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या-0786/2025, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(2), 125 बी.एन.एस. एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद से उत्पन्न हुई है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष हैं और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई कथित अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण, जिनकी संख्या बारह है, दो पीड़ितों युवराज और श्वेता को चोटें आई हैं और उनका डॉक्टरी परीक्षण किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए और दो पीड़ितों युवराज और श्वेता को आई चोटों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय शीर्ष अदालत द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में प्रतिपादित कानून और माननीय शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या-843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण, जिनकी संख्या बारह है, युवराज और श्वेता को चोटें आई हैं और उनका डॉक्टरी परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से और दो पीड़ितों युवराज और श्वेता को आई चोटों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जिसके कारण हमारा यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/निर्यामित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और निस्तारित किया जाएगा।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

ज़फर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"